न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी:– उम्मेदी लाल मीना (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या :– **53 / 2024**

स्टेट जरिये श्री सुदेश कुमार गर्ग, खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़

–प्रार्थी

–:बनाम:–

अप्रार्थी–1
विजय कुमार पुत्र जगन्नाथ (रिटेलर)
मैसर्स:–गोयल ट्रेडिंग कंपनी, मक्कासर रोड़, हनुमानगढ़ जंक्शन,
तहसील व जिला हनुमानगढ़।
निवासी:–सेक्टर नं. 12, मकान नं. 66, सूरतगढ़ रोड़, जिला हनुमानगढ़।

अप्रार्थी–2
पंकज कुमार पुत्र विजय कुमार (होलसेलर)
मैसर्स:–श्री जी ट्रेडिंग कंपनी, मकान नं. 66, सेक्टर नं. 12, सरकारी स्कूल के पीछे, पीलीबंगा रोड़, हनुमानगढ़ जंक्शन, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
निवासी:–सेक्टर नं. 12, मकान नं. 66, सूरतगढ़ रोड़, जिला हनुमानगढ़।

अप्रार्थी–3
मैसर्स:–हिसार एग्रो फूड प्रोडक्ट्स (निर्माता)
Satrod Ladwa Road, Southren Bye-Pass, Hisar

अपर जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़

–अप्रार्थीयान

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 (2) (2) एवं धारा 52

उपस्थित:–

1. श्री सुदेश कुमार गर्ग, खाद्य सुरक्षा अधिकारी राज्य पक्ष।
2. अप्रार्थीयान स्वयं उपस्थित।

–:निर्णय:–

दिनांक :–13.12.2024

प्रार्थी श्री सुदेश कुमार गर्ग, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री सुदेश कुमार गर्ग दिनांक 17.03.2023 को समय 04.30 बजे मय साथी टीम व समान के साथ वास्ते खाद्य पदार्थ दुकान निरीक्षण एवं नमूनीकरण मैसर्स:–गोयल ट्रेडिंग कंपनी, मक्कासर रोड़, हनुमानगढ़ जंक्शन, तहसील व जिला हनुमानगढ़ पर पहुंचे। वहां पर विजय कुमार पुत्र जगन्नाथ (विक्रेता) निवासी–सेक्टर नं. 12, मकान नं. 66, सूरतगढ़ रोड़, जिला हनुमानगढ़ उपस्थित मिला। उक्त विक्रेता के पास आमजन के बेचान वास्ते एक कार्टून में लगभग 200 बोतल X 01 लीटर Mango Fruit Drink (Fruit Champ Brand) रखे हुये थे। जिसमें खाद्य सुरक्षा अधिकारी को मिलावट का शक होने पर विक्रेता से 04 बोतल X 01 लीटर वजनी Mango Fruit Drink (Fruit Champ Brand) नमूना जांच वास्ते क्रय कर लिया। मौके पर ही विक्रेता को उक्त Mango Fruit Drink (Fruit Champ Brand) के खरीद मूल का 110/–रूपये का नगद भुगतान किया तथा माल खरीद रसीद बनवाकर ली। जिस पर विक्रेता, गवाहान एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। माल खरीद रसीद/कैश मीमो परिवाद संग संलग्न है। प्रार्थी द्वारा सैम्पल लेने से पूर्व फार्म नं 5 ए की प्रति पर नोटिस देकर यह बता दिया कि नमूना वास्ते जांच लिया गया है। फार्म 5 ए पर विक्रेता तथा गवाहान ने पढ़कर, समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर कि[illegible] सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म नं. 5 ए की प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ [illegible] खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खरीदशुदा 04 बोतल X 01 लीटर वजनी Mango [illegible] Brand) की चार लेबल तैयार कर लेबल पर विक्रेता गवाहान के हस्ताक्षर [illegible] हस्ताक्षर कर लेबल स्लिप कोड नं. एके–2506 मिन पर दर्ज कर चारों [illegible] बोतल को मोटे खाकी कागज में लपेटकर ऊपर से नीचे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, [illegible]मानगढ एवं जिला अभिहित अधिकारी, हनुमानगढ द्वारा हस्ताक्षरित पेपर स्लिप कोड नं. एके–2506 मिन पर दर्ज कर चारों बोतलों पर चिपकाया। प्रत्येक बोतल को नियमानुसार मोटे सफेद धागे से बांधा व चार–चार जगह से सील चपड़ी किया। सील्ड नमूने पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे में लिया। समस्त की गई कार्यवाही की मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की गई, जिस पर विक्रेता एवं गवाहान को समझा व

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Mina
Date: 2025.01.07 11:41:26 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णायक अधिकारी एवम्
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ

सुनाकर हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फार्म नं0 6 कार्यालय में तैयार किया गया नमूना सील किया गया। एक नमूना मय फार्म नं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सील मोहर कर राजकीय खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, बीकानेर को जांच हेतु जमा कराया गया। फूड एनालिस्ट पब्लिक हैल्थ लैबोरेट्री से नमूने की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ ने प्रार्थी (आवेदक) को नमूने की जांच रिपोर्ट क्रमांक 344 दिनांक 29.03.2023 के अनुसार नमूना जांच Misbranded Food प्राप्त होने पर अभिहित अधिकारी ने उक्त प्रकरण से संबंधित सभी दस्तावेज अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश करने को कहा गया। अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ ने विक्रेता को पुनः जांच हेतु पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2023/6349–50 दिनांक 12.04.2023 द्वारा रजिस्टर्ड डाक के द्वारा सूचित किया। नमूना विक्रेता ने नमूने के दूसरे भाग की रैफरल फूड लैब से जांच हेतु निर्धारित अवधि या उसके पश्चात् कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कार्यालय के पत्रांक एफएसएसए/2023/12722 दिनांक 28.07.2023 द्वारा विक्रेता को 07 दिवस में फर्म का खाद्य लाईसेंस/प्रोपराईटर पहचान पत्र/जीएसटी रजिस्ट्रेशन एवं संबंधित माल Mango Fruit Drink (Fruit Champ Brand) का क्रय बिल प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। संबंधित विक्रेता ने उक्त खाद्य पदार्थ मैसर्स–श्री जी ट्रेडिंग कंपनी, मकान नं. 66, सेक्टर नं. 12, पीलीबंगा रोड़, हनुमानगढ़ जंक्शन, जिला हनुमानगढ से क्रय करना बताया। जिसका इनवाईस नं. 01/2022–23 दिनांक 06.03.2023 फर्म द्वारा संलग्न किया गया। प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर कार्यालय के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2023/16755 दिनांक 10.10.2023 द्वारा श्री जी ट्रेडिंग कंपनी, मकान नं. 66, सेक्टर नं. 12, पीलीबंगा रोड़, हनुमानगढ़ जंक्शन, जिला हनुमानगढ़ को 07 दिवस में फर्म का खाद्य लाईसेंस/प्रोपराईटर पहचान पत्र/जीएसटी रजिस्ट्रेशन एवं संबंधित माल Mango Fruit Drink (Fruit Champ Brand) का क्रय बिल प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। श्री जी ट्रेडिंग कंपनी, मकान नं. 66, सेक्टर नं. 12, पीलीबंगा रोड़, हनुमानगढ़ जंक्शन, जिला हनुमानगढ़ द्वारा खाद्य लाईसेंस, आधार कार्ड, जीएसटी वैट रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत किया गया एवं माल क्रय के संबंध में निर्माण इकाई हिसार एग्रो फूड प्रोडक्टस, हिसार, हरियाणा का बिल नं. 418/2022–23 दिनांक 01.03.2023 प्रस्तुत किया गया। इनवाईस बिल के आधार पर एवं जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, बीकानेर की जांच रिपोर्ट में अंकित निर्माण इकाई के पते के आधार पर निर्माण इकाई को अभियोजन में सम्मिलित किया गया। आवेदक द्वारा अनुसंधान कार्य पूर्ण होने के बाद समस्त कागजात अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ को वास्ते लिखित अभियोजन स्वीकृति प्रस्तुत किये। अभिहित अधिकारी ने समस्त कागजातों का अवलोकन कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी को न्याय निर्णयन आवेदन सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया। इस प्रकरण में अप्रार्थीयान ने Misbranded खाद्य पदार्थ Mango Fruit Drink (Fruit Champ Brand) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (2) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएसए 2006 की धारा 52 में वर्णित है। उपलब्ध कागजात के अवलोकन के आधार पर Mango Fruit Drink (Fruit Champ Brand) विक्रेता एवं मालिक एफएसएसए 2006 की धारा 31 की श्रेणी में आते हैं। इसलिए विक्रेता पर नियमानुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ द्वारा कार्यवाही हेतु निवेदन किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीयान को नोटिस जारी कर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया। जिसकी पावती संलग्न पत्रावली है।

अप्रार्थी–1 द्वारा स्वयं उपस्थित होकर उक्त नमूना पदार्थ अप्रार्थी–2 से खरीद करना बताया। अप्रार्थी–2 द्वारा स्वयं उपस्थित होकर उक्त नमूना पदार्थ अप्रार्थी–3 से खरीद करना बताया। अप्रार्थी–3 द्वारा स्वयं उपस्थित होकर जबाव पेश किया कि Our juice packed in bottle found fit for health and according to the FSSAI norms. But our label found misbranded due to colouring matter natural synthetic food colors. This is synthetic food colour and quantity of sodium not mention at label. RDA guideline come in 01 july 2023 but sample take by FSO on 19-03-2023. Sir, you know very well in 2020 corona virus come in india and all the manufacturing units suffer very badly. During 2020-2022 years plant not run and financial condition very poor. In starting of the year 2023 we have lot of stock for the printed labels. RDA guideline come in 2022 writing on labels amount of Sodium, total sugar etc on labels but this FDA rules Regulated on 01 July, 2023. Our sample carried out before this date. Sir, this is the clerical mistake, and "&" comes between natural & synthetic food colour (E102, E110). Now we have correct this mistake at our labels. we are request you please excuse us in future we are very careful and follow the FSSAI norms and regulation. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लैब रिपोर्ट के अनुसार अधिक से अधिक जुर्माना अधिरोपित करने की प्रार्थना की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Mina
Date: 2025.01.07 11:41:26 IST
Reason: SelfAttested

हमने उभयपक्षों के कथनों पर गौर किया व पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का अप्रार्थीयान द्वारा खण्डन किसी प्रकार का साक्ष्य आधारित नहीं किया गया है और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों से प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी से निरीक्षण के दौरान क्रय किये गये Mango Fruit Drink (Fruit Champ Brand) की जांच में Misbranded की रिपोर्ट आई है। ऐसी स्थिति में हम अन्य साक्ष्यों को तलब करना आवश्यक नहीं समझते हैं और स्पष्ट होता है कि अप्रार्थीगण द्वारा Misbranded Mango Fruit Drink (Fruit Champ Brand) का विक्रय करके खाद्य

न्याय निर्णायक अधिकारी एवम्
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ

सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। अतः अप्रार्थी द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए अप्रार्थीयान के Misbranded कृत्य के लिए धारा 52 के तहत अप्रार्थी–1 पर 500/–(अखरे रूपये पांच सौ मात्र), अप्रार्थी–2 पर 500/–(अखरे रूपये पांच सौ मात्र) एवं अप्रार्थी–3 पर 4,000/–(अखरे रूपये चार हजार मात्र) एवं इस प्रकार प्रकरण में कुल 5,000/–(अखरे रूपये पांच हजार मात्र) की शास्ति आरोपित की जाकर यह आदेश दिया जाता है कि लगाई गई शास्ति राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में निर्णय से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद प्राप्त करें। निर्णय की एक–एक प्रति उभय पक्ष को भिजवाई जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 13.12.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर जिला मजिस्ट्रेट ★ हनुमानगढ़ ★

(उम्मेदी लाल मीना)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Umedi Lal Mina
Date: 2025.01.07 11:41:26 IST
Reason: SelfAttested